झारखंड विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004

विषय सूची

धाराएं ।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।

2. 2003-2004 वर्ष के लिये झारखंड राज्य की संचित निधि में से 1,22,35,39,138 रुपये की निकासी ।

3. विनियोग-1

अनुसूची ।

झारखंड विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004

झारखंड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ - (i) यह अधिनियम झारखंड विनियोग (संख्या-1) अधिनियम, 2004 कहा जा सकेगा ।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
(iii) यह 1 अप्रैल 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2003-2004 वर्ष के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से 1,22,35,39,138 रूपये की निकासी । झारखंड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1 अप्रैल, 2003 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 1,22,35,39,138 (एक सौ बाईस करोड़ पैंतीस लाख उन्चालिस हजार एक सौ अड़तीस) रूपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेंगी ।

3. विनियोग - इस अधिनियम के द्वारा झारखंड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31 मार्च, 2004 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके सम्बन्ध में विनियोजित की जायेंगी ।

(धाराएँ 2 और 3 देखें)

			अनाधिक राशियाँ			
मांग/ विनियोग	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	राजस्व/पूंजी	झारखण्ड विधान-सभा द्वारा दिए गए अनुदान ।	राज्य की संचित निधि पर भारित ।	कुल	
संख्या			मतदेय	भारित	योग	महायोग
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि विभाग	राजस्व	26800000		26800000	26800000
		पूंजी				
2	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	राजस्व	14802812		14802812	14802812
		पूंजी				
3	भवन निर्माण एवं आवास विभाग	राजस्व				60000000
		पूंजी	60000000		60000000	
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	राजस्व	9213769		9213769	9213769
		पूंजी				
5	राज्यपाल	राजस्व				
		पूंजी				
6	निर्वाचन	राजस्व				
		पूंजी				
7	निगरानी	राजस्व				
		पूंजी				
8	नागरिक विमानन विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
9	सहकारिता विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
10	उर्जा विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	4732		4732	4732
		पूंजी				
12	वित्त विभाग	राजस्व	268369		268369	268369
		पूंजी				
13	ब्याज संदाय	राजस्व		3000000	3000000	3000000
		पूंजी				
14	ऋण की वापसी अदायगी	राजस्व				16550000
		पूंजी		16550000	16550000	
15	पेंशन	राजस्व				
		पूंजी				
16	राष्ट्रीय बचत	राजस्व				
		पूंजी				
17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	राजस्व	14728100		14728100	14728100
		पूंजी				
18	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	राजस्व	100		100	100
		पूंजी				

(धाराएँ 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	राजस्व/पूंजी	अनाधिक राशियाँ			महायोग
			झारखण्ड विधान-सभा द्वारा दिए गए अनुदान ।	राज्य की संचित निधि पर भारित ।	कुल	
			मतदेय	भारित	योग	
संख्या						
1	2	3	4	5	6	7
19	वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
20	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	58326096		58326096	58326096
		पूंजी				
21	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
22	गृह विभाग	राजस्व	24968588		24968588	24968588
		पूंजी				
23	उद्योग विभाग	राजस्व	18462620		18462620	18462620
		पूंजी				
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	88442		88442	88442
		पूंजी				
25	सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कियान्वयन विभाग	राजस्व	710000		710000	710000
		पूंजी				
26	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व	163000		163000	163000
		पूंजी				
27	विधि विभाग	राजस्व	462300		462300	462300
		पूंजी				
28	झारखण्ड का उच्च न्यायालय	राजस्व		2680000	2680000	2680000
		पूंजी				
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
30	अल्प संख्यक कल्याण विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
32	विधान मंडल	राजस्व	2566000	532000	3098000	3098000
		पूंजी				
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	1037000		1037000	1037000
		पूंजी				
34	झारखण्ड लोक सेवा आयोग	राजस्व		28980000	28980000	28980000
		पूंजी				
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
37	राजभाषा विभाग	राजस्व	150000		150000	150000
		पूंजी				

(धाराएँ 2 और 3 देखें)

			अनाधिक राशियाँ			
मांग/ विनियोग	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	राजस्व/पूंजी	झारखण्ड विधान-सभा द्वारा दिए गए अनुदान ।	राज्य की संचित निधि पर भारित ।	कुल	
संख्या			मतदेय	भारित	योग	महायोग
1	2	3	4	5	6	7
38	निबंधन विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
39	सहाय्य एवं पुर्नवास विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	54620000		54620000	54620000
		पूंजी				
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	4602071		4602071	4602071
		पूंजी				
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	225000000		225000000	225000000
		पूंजी				
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	44256232		44256232	44256232
		पूंजी				
44	माध्यमिक प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	राजस्व	1185571		1185571	1185571
		पूंजी				
45	ईख विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	136757		136757	136757
		पूंजी				
47	परिवहन विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
48	नगर विकास विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व		498241	498241	808612
		पूंजी	310371		310371	
50	लघु सिंचाई विभाग	राजस्व	72693640		72693640	300123967
		पूंजी	227430327		227430327	
51	कल्याण विभाग	राजस्व	273423105		273423105	283862000
		पूंजी	10438895		10438895	
52	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	24450000		24450000	24450000
		पूंजी				
	योग	राजस्व	873119304	35690241	908809545	
		पूंजी	298179593	16550000	314729593	
	महायोग		1171298897	52240241	1223539138	1223539138

उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत का संविधान के अनुच्छेद-204 के उपबंधों के अधीन निमित विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । झारखण्ड विनियोग (सं.-2 एवं 3) अधिनियम 2003 के द्वारा प्राधिकृत राशि चालू वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई गई है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनपेक्षित नई सेवाओं पर अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई है । इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर, शोधन के दौरान आनेवाले भारों की पूर्ति के लिये राज्य की संचित निधि में 1,22,35,39,138 (एक सौ बाईस करोड़ पैंतीस लाख उन्चालिस हजार एक सौ अड़तीस) रूपये और राशि का शोधन और विनियोग विधान-मंडल के इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाय ।

(मृगेन्द्र प्रताप सिंह)
भार-साधक सदस्य

झा०रा०मु० राँची (वित्त) 45--200--19-2-2004--ऑफसेट ।